



GOVT OF BIHAR  
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.  
KHAGARIA SCORE KHAGARIA  
"प्ररूप 26"  
(नियम 4क देखिए)  
Authorization No. 2927

भारत STAMP DUTY  
00000  
00000100 = 7 / 2017  
375261 BIHAR  
\*\*Zero\*Zero\*/\*\*Zero\*Zero\*Zero\*Zero\*\*

3338 818726

BASANT KUMAR

NOTARY

Date 24/11/17 No. 4187  
KHA



25-29211111 -

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 25-29211111 - लोकतम (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क  
मैं 3 मई 21 - 3 मई 21 \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी कनिका रंजिता  
आयु 53 वर्ष जो कागुशेरा पो सिमरी 910001  
जिला - सहाय

(डाक का पूरा पता लिखें)

का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं 29211111 (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)  
(2) मेरा नाम 76-सिमरी 910001 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 164 के क्रम सं 942 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9334243290 है/है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आर-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति : 9

3 मई 21

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरण उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	यु.नं	यु.नं	यु.नं
2.	पति या पत्नी	यु.नं	यु.नं	यु.नं
3.	आश्रित-1	यु.नं	यु.नं	यु.नं
4.	आश्रित-2	यु.नं	यु.नं	यु.नं
5.	आश्रित-3	यु.नं	यु.नं	यु.नं

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। यु.नं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	यु.नं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	यु.नं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	यु.नं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	यु.नं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	यु.नं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	यु.नं

- (ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):- यु.नं

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	यु.नं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम	यु.नं

उमेश चंद्र शर्मा

	(अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	यु.न.
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	यु.न.

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

यु.न.

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	यु.न.
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	यु.न.
(ग)	अधिरोपित दंड	यु.न.
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	यु.न.

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ, अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, रक़ीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

अभिभाक्षी

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	60,000/-	20,000/-	Y-N	Y-N	Y-N
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (गार और मूल्य के ब्यौरे)	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N
(ix)	समग्र कुल मूल्य	45,000/-	20,000/-	Y-N	Y-N	Y-N

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N	Y-N

अभिप्रेत शकल

	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	३००	३००	३००	३००	३००
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	३००	३००	३००	३००	३००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	३००	३००	३००	३००	३००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३००	३००	३००	३००	३००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३००	३००	३००	३००	३००
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३००	३००	३००	३००	३००
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३००	३००	३००	३००	३००
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	३००	३००	३००	३००	३००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३००	३००	३००	३००	३००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	३००	३००	३००	३००	३००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३००	३००	३००	३००	३००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३००	३००	३००	३००	३००
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	३००	३००	३००	३००	३००
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	३००	३००	३००	३००	३००

(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	३००	३००	३००	३००	३००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३००	३००	३००	३००	३००
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	३००	३००	३००	३००	३००
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	३००	३००	३००	३००	३००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	३००	३००	३००	३००	३००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	३००	३००	३००	३००	३००
	विकास, संनिर्माण आदि के	३००	३००	३००	३००	३००

अनुमानित मूल्य



	माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	विकास, सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	5,00,000/-	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	5,00,000/-	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.

(B) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ - यु.न.  
 (टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	कोई अन्य दायित्व	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.
	दायित्वों का कुल योग	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.	यु.न.

शोध्य/शोध्य

सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
आय-कर शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
धनकर शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
सेवाकर शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
विक्रयकर शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
कोई अन्य शोध्य	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न

(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न	यु.न
---	------	------	------	------	------

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... ५७३२१

(ख) पति या पत्नी ..... ५७३२१

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

लाजर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं. उमेश चंद्र ३७३२१
2	डाक का पता	३७३२१, ३७३२१, ३७३२१, ३७३२१

उमेश चंद्र ३७३२१

3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	25-2921 डि.म. वि.ए.ए.
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	2921-
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	यु.म.
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	यु.म.

6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	यु.म.
---	---	-------

7	..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	यु.म.	यु.म.
	(ख) पति या पत्नी	यु.म.	यु.म.
	(ग) आश्रित	यु.म.	यु.म.

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यारे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.
ख	स्थावर आस्तियां	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.	यु.म.

अभिप्रेत 31/2/20



II	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	यु.ए.				
9	दायित्व	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	यु.ए.				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.	यु.ए.
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	एम.ए.				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

**सत्यापन**

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से निम्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्तित्व या दायित्व से निम्न कोई आस्तित्व या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24/11/14 को सत्यापित किया गया।

*अभिसाक्षी*

अभिसाक्षी

I identify the deponent who has signed/put his/her L.T.T./R.T.T. in my presence

Rambhadracharya  
Advocate  
21/11/14



NOTARY  
NOTARY ACT 1952  
Khagaria, Bihar

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण -5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को **WP(C)** संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी, द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिये गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

" मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं..... 9224249290

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....